न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 85/2025

विनोद बनाम सोहनी आदि

<u>दावा बाबत घोषणार्थ, रिकॉर्ड दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा।</u>
<u>प्रार्थना पत्र – अं.आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.</u>
<u>व धारा 151 सी.पी.सी.</u>

ऐडवोकेट वादी अप्रार्थी – श्री सज्जन कुमार चाहर
ऐडवोकेट प्रति0 प्रार्थी – श्री अमर सिंह शेखावत

:: आदेश ::

दिनांक 27.10.2025

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– वाद पत्र की धारा–2 में "घासीराम ने अपने जीवनकाल में दिनांक 28.09.2020 को 100/– रूपये के स्टाम्प पर अपने भाई के लड़के को गोद लेने की लिखापढ़ी करवाई थी" तथा धारा–4 में "राजस्व ग्राम देवीपूरा, पटवार हल्का चिरांणा की सरहद में नई खाता सं० 93 की भूमि ख०नं० 599 रकबा 0.99 हैक्टर, भूमि ख0नं0 648 रकबा 0.22 हैक्टर, भूमि ख0नं0 659 रकबा 0.91 हैक्टर, भूमि ख०नं० 705 रकबा 0.0200 हैक्टर, भूमि ख0नं0 706 रकबा 1.4100 हैक्टर कुल कीता–5 कुल रकबा 3.5500 हैक्टर का रिकॉर्ड गोदनामा के आधार पर वादी व प्र०सं० 1 के नाम दर्ज होना चाहिए" अंकन कर वादी के द्वारा दत्तक पुत्र की घोषणा करवाते हुए भूमि में स्वयं को खातेदार काश्तगार के रूप में घोषित करवाने की सहायता चाही है।

वादी के द्वारा प्रार्थीया के पिता के देहान्त के पश्चात् एक फर्जी स्टाम्प सीकर से क्रय करने के पश्चात हड़पने के लिए तैयार कर न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया है जो हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधि० 1956 की धारा 5 लगायत 17 विरुद्ध होने कारण तथा अनरजिस्ट्रर्ड दस्तावेज होने के कारण से दत्तक ग्रहण सम्बन्धित निर्णय लेने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है चूंकि दत्तक ग्रहण सम्बन्धित वैद्यता की जांच राजस्व न्यायालय के द्वारा निर्णित नहीं की जा सकती है। इसलिए वादी का वाद खारिज फरमाया जावें। प्रार्थीया के पिता घासीराम का न तो वादी दत्तक पुत्र है, ना ही कभी दत्तक पुत्र के रूप में साथ रहा, ना ही कभी दत्तक ग्रहण सम्बन्धित गिविंग एण्ड टेकिंग सेरेमनी हुई, ना ही उक्त तथाकथित फर्जी लिखापढ़ी पर दत्तक पुत्र देने व लेने के हस्ताक्षर है, ना ही कानूनन अधेड़ उम्र का शादी शुदा व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के कानूनन गोद जा सकता है, ना ही गोद लिया जा सकता है। इस प्रकार तमाम तथ्यों तथा कुटरचित लिखापढ़ी दिनांक 28.09.2020 से प्रमाणित है कि प्रार्थीया के पिता की मृत्यु होने के पश्चात् बैक डेट का स्टाम्प क्रय कर प्रार्थीया के कब्जे काश्त की भूमि को हड़पने तथा उसमें प्रार्थीया को प्राप्त टेनेन्सी राईट से वंचित करने के लिए कुटरचित दस्तावेज वादी ने तैयार किया है जिसके सम्बन्ध में पुलिस थाना गोठड़ा में रिपोर्ट करवाई जा रही है। इस प्रकार कानूनन दस्तावेज अनरजिस्टर्ड लिखापढ़ी के आधार पर किसी को भी दत्तक पुत्र घोषित करने का राजस्व न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है।

वादी के द्वारा राजस्व ग्राम देवीपूरा, पटवार हल्का चिरांणा की सरहद में नई खाता सं० 93 की भूमि ख०नं० 599 रकबा 0.99 हैक्टर, भूमि ख0नं0 648 रकबा 0.22 हैक्टर, भूमि ख0नं0 659 रकबा 0.91 हैक्टर, भूमि ख०नं0 705 रकबा 0.0200 हैक्टर, भूमि ख०नं0 706 रकबा 1.4100 हैक्टर कुल कीता 5 कुल रकबा 3.5500 हैक्टर भूमि में से प्रार्थीया के पिता घासीराम से दिनांक 04.11.2024 को 1/4 हिस्से में से 0.4400 हैक्टर भूमि 2,00000 रूपये के बदले में [illegible] क्रेता वादी की वल्दीयत विनोद कुमार पुत्र रूड़मल दर्ज है जिससे पूर्णतया प्रमाणित है कि [illegible] की मृत्यु होने के पश्चात् फर्जी तरीके से लिखापढ़ी तैयार कर प्रार्थीया [illegible] न्यायालय में प्रस्तुत किया है जिसे क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज करवाया [illegible]

किसी भी व्यक्ति का वारिस तय [illegible] न्यायालय का नहीं है [illegible] भी सिविल न्यायालय ने वादी को प्रार्थीया के पिता घासीराम का वारिस घोषित नहीं किया है वादी स्व० घासीराम का दत्तक पुत्र है इस बाबत् कोई भी रजिस्टर्ड दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया है तथाकथित लिखापढ़ी जो वादी ने प्रस्तुत की है वो अडोप्सन एक्ट की परिधी में नहीं आने के कारण से राजस्व न्यायालय के द्वारा दत्तक ग्रहण सम्बन्धित घोषणा करने का क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण से वादी का वाद खारिज फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:30:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट ... नवलगढ़

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. तथा धारा 207 राज० का० अधिनियम का स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किये जाने का आदेश फरमाने की कृपा करें।

वकील अप्रार्थी (वादी) की ओर से पेश जबाब प्रा0 पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :– प्रार्थना पत्र की मद संख्या 01 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 अस्वीकार है प्रार्थी ने ना तो फर्जी लिखावट पर गोदनामा तैयार किया है ना ही फर्जी दस्तावेज तैयार किया है। प्रार्थी को घासीराम ने अपने जीवनकाल में ही दत्तक पुत्र के रूप में गोद ले लिया था। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 अस्वीकार है परन्तु दस्तावेज नही बनाने के कारण प्रार्थी के पिता का नाम कुछ दस्तावेजो में रूडाराम व कुछ दस्तावेजो में घासीराम चला आ रहा है। दिनांक 28.09.2020 को प्रार्थी के पिता घासीराम ने एक स्टाम्प पेपर पर लिखापढ़ी करके प्रार्थी को गोदनामा तैयार करवाकर दिया था जिस पर गोदनामा की लिखापढी की हुई है व समस्त रश्म प्रार्थी जब नाबालिक था तब की हुई थी। प्रार्थी का राशन कार्ड में भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड सभी में पिता का नाम घासीराम नाम दर्ज है। इस आधार पर यह साबित होता है कि प्रार्थी को घासीराम ने व घासीराम की पत्नी ने गोद लिया था। घासीराम की मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 जिस प्रकार से दर्ज है, आंशिक रूप से स्वीकार है। यह कि प्रार्थी ने दिनांक 04.11.2024 को घासीराम से 0.44 है० भूमि कय की थी जिसमें विनोद कुमार पुत्र रूड़मल पिता का नाम दर्ज है परन्तु प्रार्थी ने अपने पिता का नाम दस्तावेजो में सही नही करवाने के कारण उक्त विकय पत्र करवाया था। जबकि वास्तविक नाम विनोद पुत्र घासीराम राशन कार्ड, जन आधार कार्ड में दर्ज है।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 जिस प्रकार से दर्ज है, गलत है उक्त वाद प्रार्थी को वारिस घोषित करने का नही होकर प्रार्थी के रिकॉर्ड दुरूस्ती का वाद पत्र है जिसको सुनने का अधिकार राजस्व न्यायालय को ही है क्योंकि प्रार्थी घासीराम का दत्तक पुत्र है व मौके पर घासीराम के हिस्सेकी भूमि पर प्रार्थी का ही कब्जा काश्त है व घासीराम के समस्त हर्जे खर्चे की जिम्मेदारी प्रार्थी ने ही उठाई है।

<u>अतिरिक्त उत्तर</u>

प्रार्थी ने ना तो फर्जी लिखावट पर गोदनामा तैयार किया है ना ही फर्जी दस्तावेज तैयार किया है। प्रार्थी को घासीराम ने अपने जीवनकाल में ही दत्तक पुत्र के रूप में गोद ले लिया था। दिनांक 28.09.2020 को प्रार्थी के पिता घासीराम ने एक स्टाम्प पेपर पर लिखापढ़ी करके प्रार्थी को गोदनामा तैयार करवाकर दिया था जिस पर गोदनामा की लिखापढ़ी की हुई है व समस्त रश्म प्रार्थी जब नाबालिक था तब की हुई थी। प्रार्थी का राशन कार्ड में भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड सभी में पिता का नाम घासीराम नाम दर्ज है। इस आधार पर यह साबित होता है कि प्रार्थी को घासीराम ने व घासीराम की पत्नी ने गोद लिया था। प्रार्थी ने दिनांक 04.11.2024 को घासीराम से 0.44 है० भूमि कय की थी जिसमें विनोद कुमार पुत्र रूड़मल पिताका नाम दर्ज है परन्तु प्रार्थी ने अपने पिता का नाम दस्तावेजो में सही नही करवाने के कारण उक्त विक्रय पत्र करवाया था। जबकि वास्तविक नाम विनोद पुत्र घासीराम राशन कार्ड, जन आधार कार्ड में दर्ज है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थी का आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने की कृपा करें।

जबाब देही पेश होने पर बहस उभय पक्ष बगौर सुनी गई। प्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए वाद पत्र को क्षैत्राधिकार के अभाव में खारिज किये जाने का कथन किया जिससे जबाब में वकील अप्रार्थी द्वारा जबाब प्रा0 पत्र के तथ्यों को को दोहराया तथा वाद राजस्व न्यायालय के क्षैत्राधिकार में होने तथा वादी/अप्रार्थी की ओर से वाद पत्र में प्रस्तुत संपूर्ण दस्तावेज पूर्णतया सही व स्पष्ट होना बताते हुए प्रा0 पत्र खारिज किये जाने का कथन किया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध वाद पत्र तथा दस्तावेजों का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद पत्र में दर्ज भूमि के वादी जरिये स्टाम्प पेपर के माध्यम से दत्तक पुत्र होने तथा इसी आधार पर खातेदारी की घोषणा तथा गलत राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर बने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त कर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाना चाहता है। चूंकि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त करने तथा का क्षेत्राधिकार माननीय सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है तथा अरजिस्टर्ड गोदनामा के आधार पर राजस्व न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की खातेदारी अधिकारों की घोषणा नही की जा सकती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:30:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) नवलगढ़

उक्त अनरजिस्टर्ड गोदनामा की वैधता का निर्धारण माननीय सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। न्यायालय हाजा के लिए उक्त दावा क्षैत्राधिकार के बाहर होने से प्रकरण आदेश 07 नियम 11 सीपीसी से हिट होता है। उक्त दावा क्षैत्राधिकार के बाहर होने के कारण आदेश 07 नियम 11 के अनुसार बार्ड बाई लॉ है। फलस्वरूप प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा पेश अर्न्तगत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी जाब्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर मौजूदा वाद वादी क्षैत्राधिकार के अभाव में खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। निर्णय दिनांक **27.10.2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट, फास्ट-ट्रेक) नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:30:28 IST
Reason: SelfAttested